

न्यायालय:- श्री आलोक कुमार चतुर्वेदी अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी,
बगहा, प0 चम्पारण।

बगहा थाना काण्ड संख्या – 27 / 2010

विचारण वाद संख्या- 44 / 2026

सरकार बनाम् विजय सिंह

आदेश

20.07.2026

पुकार की गई। अभियुक्त विजय सिंह अनुपस्थित। अभियुक्त विजय सिंह की न्यायालय के समक्ष उपस्थित सुनिश्चित कराने हेतु न्यायालय द्वारा समय-समय पर समन, जमानतीय अधिपत्र, गैर जमानतीय अधिपत्र, धारा 82 एवं 83 दं० प्र० सं० जारी की गई परन्तु अभियुक्त न तो न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किये न ही संबंधित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया। पत्रावली वर्ष 2010 की है। उपर्युक्त परिस्थितियों में अभियुक्त की शीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने की संभावना नहीं है।

अतः अभियुक्त विजय सिंह को फरार घोषित किया जाता है। कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त का नाम फरारी पंजी में दर्ज करें तथा अभियुक्त के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी करें। कार्यालय लिपिक अभिलेख को जमा कराने हेतु विधि अनुसार कार्यवाही करें।

लेखापित

अलोक कुमार चतुर्वेदी
अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी
बगहा, प0 चम्पारण।